CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

□ वर्ष- 29 □ अंक- 184 □ रायपुर, सोमवार 27 जुलाई 2026 □ पृष्ठ-8 □ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

ब्रेकिंग न्यूज

'शांतिपूर्ण प्रदर्शन हर नागरिक का अधिकार, लाठीचार्ज सही नहीं' पुलिस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

नई दिल्ली, 27 जुलाई (न्यूज चैनल)। नीट पेपर लीक और अन्य परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस ज्यादती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और इसे किसी भी हाल में नकारा नहीं जा सकता। साथ ही कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करने का फैसला किया है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे, ने कहा कि केवल प्रदर्शन होने भर से पुलिस की ओर से लाठीचार्ज या अत्यधिक बल प्रयोग को सही नहीं ठहराया जा सकता। इस सुनवाई के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों के परिजनों की ओर से दायर याचिका का भी जिक्र हुआ। इसमें आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मियों पर भी हमला हुआ था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है, चाहे वह प्रदर्शनकारी हो या पुलिसकर्मी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए एक समान प्रोटोकॉल (व्यवस्था) होना चाहिए।

पेपर लीक के बाद अब ई20 की बारी!: केजरीवाल बोले- एक होकर आवाज उठानी होगी

नई दिल्ली, 27 जुलाई (न्यूज चैनल)। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पेपर लीक के बाद एक बार फिर से ई20 मुद्दे को उठाया है। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि शनिवार को दिल्ली में टाउनहॉल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा है। केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को देश के युवाओं और लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, देश के युवाओं ने एक होकर आवाज उठाई तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। ई20 पर भी हमें एक होकर आवाज उठानी पड़ेगी। इस शनिवार हम नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट ई20 आयोजित कर रहे हैं, जिसमें शामिल होकर आप ई20 पर अपनी बात रख सकते हैं। आप इसमें ऑनलाइन भी शामिल हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ई20 का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री से अपील की कि लगे हाथ इसका भी समाधान कर दीजिए। लोग बहतु ज्यादा परेशान हैं। उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। केजरीवाल ने ई20 के खिलाफ दिल्ली में एक टाउनहॉल आयोजित करने की बात कही।

बिरादरी की बातें

चूहा- सुनती हो, पेपर लीक मामले में 10 करोड़ जुर्माने और 10 साल सजा का प्रस्ताव है..! चुहिया- हां जी, सभी को मालूम है कोई 10 करोड़ जुर्माना नहीं भरेगा..!

प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ विधेयक लोकसभा में पेश

10 साल जेल और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान

नई दिल्ली, 27 जुलाई (न्यूज चैनल)। देश में पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली धांधली पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पेश किया। प्रस्तावित कानून में पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितता करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तावित संशोधन के तहत पेपर लीक करने या परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने के दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि किसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की भूमिका सामने आती है तो उसे 8 साल तक ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर के दोषी पाए जाने पर भी 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान बताया गया है। वहीं, पेपर लीक में शामिल कोचिंग संस्थानों पर भी सख्त कार्रवाई और संपत्ति जब्ती का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाने की घोषणा भी की है।

नीट संकट के बीच संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान

नीट पेपर लीक विवाद के कारण इस्तीफ़ा देने वाले पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एनडीए सांसदों ने संसद में ज़ोरदार स्वागत किया, जो सत्ताधारी गठबंधन की उनके प्रति एकजुटता और समर्थन को दर्शाता है। यह स्वागत उस समय हुआ जब विपक्ष छात्रों पर पुलिस बल प्रयोग के विरोध में प्रदर्शन कर रहा था। नीट पेपर लीक विवाद के कारण इस्तीफ़ा देने के बाद पहली बार संसद पहुंचे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बीजेपी सांसद धर्मेंद्र प्रधान का सोमवार को एनडीए नेताओं ने ज़ोरदार स्वागत किया।

विपक्ष ने किया संसद परिसर के भीतर प्रदर्शन

दूसरी ओर, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं ने छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान उन पर कथित तौर पर अत्यधिक बल प्रयोग किए जाने को लेकर संसद परिसर के भीतर विरोध-प्रदर्शन किया। शिक्षा चोरी के नारे लगाते हुए, विपक्षी सांसदों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से माफी की मांग की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव उन विपक्षी नेताओं में शामिल थे जिन्होंने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया।

छत्तीसगढ़ में 7 आईएफएस अफसरों का तबादला

रायपुर, 27 जुलाई (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य सरकार ने 7 वरिष्ठ आईएफएस अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए हैं।

इस फेरबदल के तहत एपीसीएफ संजीता गुप्ता को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है। वहीं अमरनाथ प्रसाद को वन विभाग का सचिव बनाया गया है। जानकारी के अनुसार, यह प्रशासनिक बदलाव लघु वनोपज संघ के एमडी अनिल साहू सहित चार वरिष्ठ अधिकारियों के 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने के कारण किया गया है। रिक्त होने वाले पदों को देखते हुए सरकार ने समय रहते नई नियुक्तियां कर दी हैं।

2 दिनों में 2 छात्रों की मौत, 11 बच्चे संक्रमित, प्रशासन अलर्ट

कांकेर, 27 जुलाई (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में मलेरिया आउटब्रेक ने चिंता बढ़ा दी है। बीते 2 दिनों में सरकारी छात्रावास में रहने वाले 2 छात्रों की मलेरिया से मौत हो गई। वहीं, अलग-अलग छात्रावासों के 11 छात्र मलेरिया संक्रमित पाए गए हैं। घटनाओं के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने पूरे जिले में निगरानी बढ़ा दी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. आरसी ठाकुर ने बताया कि जिले में अचानक मलेरिया का प्रकोप सामने आया है। प्रभावित छात्रावासों और आसपास के गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार जांच अभियान चला रही हैं। संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है और सभी छात्रावासों पर विशेष नजर रखी जा रही है।

आदिम जाति कल्याण विभाग की सहायक आयुक्त जया मनु के अनुसार, 22 जुलाई को सभी छात्रावासों में बच्चों की स्वास्थ्य जांच कराई गई थी। उस समय कोई भी छात्र मलेरिया संक्रमित नहीं मिला था। हालांकि, 24 जुलाई के बाद अचानक कई बच्चों में तेज बुखार और अन्य लक्षण सामने आए। इसके बाद जांच में लगातार मलेरिया के मामले मिलने लगे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, डोमाहर्रा गांव की रहने वाली 3 सगी बहनों को तेज बुखार होने पर शुक्रवार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान 25 जुलाई को 9 वर्षीय करीना विश्वकर्मा की मौत हो गई। उसकी दोनों बहनों का इलाज अभी जारी है।

मर्दापोटी छात्रावास में कई छात्रों को बुखार और सिरदर्द की शिकायत हुई थी। जांच में 4 छात्र मलेरिया पॉजिटिव पाए गए। इनमें 9 वर्षीय छात्र सुभाष कुमेटी की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे घर ले गए थे। रविवार सुबह हालत गंभीर होने पर उसे फिर जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इरादाह और मर्दापोटी छात्रावास के कुल 11 छात्र मलेरिया संक्रमित पाए गए हैं। प्रभावित छात्रावासों में स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। सभी छात्रों की स्क्रीनिंग की जा रही है। संक्रमित बच्चों को दवाएं दी जा रही हैं और उनका इलाज जारी है। सीएमएचओ डॉ. आरसी ठाकुर के अनुसार जिले में अचानक मलेरिया आउटब्रेक सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार छात्रावासों और

प्रभावित गांवों में जांच कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई तक कोई भी बच्चा संक्रमित नहीं था। इसके बाद हालात तेजी से बदले और 2 बच्चों की मौत हो गई। इसलिए सभी छात्रावासों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। मलेरिया एक परजीवी जनित बीमारी है, जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। समय पर इलाज नहीं मिलने पर यह बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। फिलहाल मलेरिया से बचाव के लिए व्यापक उपयोग वाली वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। बीमारी होने पर डॉक्टर एंटी मलेरिया दवाओं और बुखार कम करने वाली दवाओं से इलाज करते हैं। इलाज के दौरान कुछ मरीजों में सिरदर्द, पेट संबंधी परेशानी, धूप से संवेदनशीलता, कान में आवाज आना, एनीमिया और मानसिक असहजता जैसे दुष्प्रभाव भी दिखाई दे सकते हैं। ऐसे लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

ईडी की एंट्री पर बोले सीएम विष्णु देव साय, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

रायपुर, 27 जुलाई (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के चर्चित सीजीपीएससी भर्ती घोटाले मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच के तहत पूर्व सीजीपीएससी अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी से रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ की जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सीजीपीएससी भर्ती घोटाले की जांच के बीच अब ईडी वित्तीय लेनदेन और कथित मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच करेगी। इसी कड़ी में टामन

सिंह सोनवानी से रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि मामले में अवैध धन के लेनदेन या उससे जुड़े अन्य पहलू सामने आते हैं या नहीं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया था। साय ने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतती। यदि कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अपराध करता है और जांच में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 136वें एपिसोड का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री समय-समय पर राज्य की उपलब्धियों का जिक्र करते हैं। उन्होंने बताया कि पहले बस्तर पंडुम और मल्हार के ताम्रपत्र का उल्लेख किया गया था। इस बार प्रधानमंत्री ने कोरबा के कैच द रेन अभियान की सराहना की। साथ ही गणेश चतुर्थी पर स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाई गई मिट्टी की प्रतिमाओं को अपनाने का भी संदेश दिया।

राजधानी के अशोका आइकन में दिनदहाड़े चोरी, सोने-चांदी के जेवरात और 51.50 लाख कैश पार, रसोइए पर आरोप

रायपुर, 27 जुलाई (हाईवे चैनल)। राजधानी के मोवा स्थित अशोका आइकन में करोड़ों की चोरी की वारदात सामने आई है. दिनदहाड़े घर में अलमारी तोड़कर 51.50 रुपए कैश समेत सोने-चांदी के जेवरात पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ किया. चोरी गई संपत्ति की कुल कीमत 70 लाख रुपए आंकी गई है. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. पूरा मामला पंडरी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, घटना उस वक्त हुई जब परिवार नया रायपुर किसी काम से गया हुआ था. वापस आने पर उनके होश उड़ गए. अलमारी का ताला टूटा हुआ था, जिसमें रखे 51.50 लाख कैश और सोने-चांदी के जेवरात गायब थे. उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. इस दौरान परिवार के सदस्यों ने घर में काम करने वाले रसोइए महेंद्र कुमार यादव पर चोरी का आरोप लगाया. आशंका जताई कि इसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सोसाइटी में आने-जाने वाली की डिटेल्स के साथ सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं. वहीं पुलिसकर्मी आरोपी और उसके साथियों की तलाश में जुटे गए हैं।

मुख्यमंत्री साय के प्रमुख सचिव का फेसबुक में बनाया फेक आईडी, मांग रहे परिचितों से पैसे

रायपुर, 27 जुलाई (हाईवे चैनल)। फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म अब वसूली का नया जरिया बन गए हैं. इसके लिए शातिर ठग फेक आईडी का सहारा ले रहे हैं. ऐसा ही एक मामला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह से जुड़ा हुआ आया है, जिसमें शातिर फेसबुक में उनकी फेक आईडी बनाकर परिचितों से पैसे मांग रहा है। जानकारी के अनुसार, शातिर ठग ने आईएएस सुबोध सिंह का फेसबुक पर आज ही एक फेक आईडी बना डाला. न केवल आईडी बना लिया, बल्कि दो घंटे के भीतर 58 दोस्त भी बना डाले. यह सब शातिर ने परिचितों से पैसे मांगने के लिए किया था. फेक आईडी के जरिए पैसे मांगने की जानकारी मिलते ही आईएएस सुबोध सिंह ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है. पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।

जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प: एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से किया हमला, आधा दर्जन घायल

ट्रैक्टर से कुचलने का भी किया प्रयास

बलरामपुर, 27 जुलाई (हाईवे चैनल)। जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोंदला गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हिंसक झड़प हो गई। मामूली कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई, जहां दोनों पक्षों ने लाठी-डंडों से एक-दूसरे पर हमला कर दिया। इस दौरान ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किए जाने का भी आरोप है। घटना में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, गोंदला गांव में लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद को लेकर रविवार को दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लाठी-डंडों से जमकर प्रहार किए गए। मौके पर अफरा-तफरी का माहौल

बन गया और ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मारपीट के दौरान ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश किए जाने से स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई। घटना में दोनों पक्षों के लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही बसंतपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई कर रही है। साथ ही पूरे घटनाक्रम की जांच भी जारी है।

हाई कोर्ट का अहम फैसला: रिकवरी नोटिस रद्द, कानूनी उत्तराधिकारियों से नहीं वसूल सकते पुराना सर्विस टैक्स

बिलासपुर, 27 जुलाई (हाईवे चैनल)। हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि प्रोपराइटरशिप फर्म के मालिक की मौत के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकारियों से पुराना सर्विस टैक्स नहीं वसूला जा सकता है। कोर्ट ने साफ कहा कि मृत करदाता के वारिसों के विरुद्ध खाता या संपत्ति कुर्क करने का आदेश या रिकवरी नोटिस जारी करना कानूनन गलत है। न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच भिलाई के रिसाली निवासी देवन अनीषा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया है।

दरअसल, याचिकाकर्ता के पति स्व. महेंद्रन रूपेश नायडू एम/एस महेंद्रन रूपेश नायडू नाम से प्रोपराइटरशिप फर्म संचालित करते

थे, और सब-कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करते थे। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए 12 अक्टूबर 2018 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बाद 30 जून 2020 को एसेसमेंट आदेश पारित कर 10 लाख 74 हजार 919 रुपये सर्विस टैक्स और इतनी ही राशि का जुर्माना निर्धारित किया गया। इसके खिलाफ दायर अपील भी खारिज हो गई। इसी बीच करदाता महेंद्रन रूपेश नायडू का तीन मई 2023 को निधन हो गया।

इसके बाद जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने 13 दिसंबर 2024 को उनकी पत्नी और उनके बैंक खातों के खिलाफ फाइनेंस एक्ट, 1994 की धारा 87(बी) और सीजीएसटी एक्ट की धारा 142 के तहत गार्निशी व रिकवरी नोटिस जारी कर दिया। इसके बाद जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने 13 दिसंबर 2024 को उनकी पत्नी और बैंक खातों के खिलाफ फाइनेंस और सीजीएसटी एक्ट के तहत रिकवरी नोटिस जारी कर दिया था। मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया, कि प्रोपराइटरशिप फर्म की कोई अलग स्वतंत्र कानूनी पहचान नहीं होती और मृत प्रोपराइटर के उत्तराधिकारियों से टैक्स वसूलने का प्रविधान नहीं है। हाई कोर्ट ने 'शबीना अब्राहम बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 13 दिसंबर 2024 को जारी रिकवरी और मांग नोटिस को पूरी तरह निरस्त कर दिया।

CMYK